झारखण्ड सरकार

# विधि विभाग

सत्यमेव जयते

# झारखण्ड सम्पत्ति विनाश एवं क्षति निवारण विधेयक, 2016

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# सम्पत्ति विनाश एवं क्षति निवारण विधेयक, 2016

सम्पत्ति विनाश एवं क्षति निवारण और ऐसे विधेयक से उत्पन्न क्षतिपूर्ति तथा इसे सम्बद्ध एवं आनुषंगिक मामले के लिए उपबंध हेतु विधेयक।

यह भारतीय गणतंत्र के सड़सठवें वर्ष में झारखण्ड विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो –

**(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः–**

i. यह अधिनियम **"सम्पत्ति विनाश एवं क्षति निवारण अधिनियम, 2016"** कहलाएगा।

ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

iii. यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

**(2) परिभाषाएँः–**

जबतक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम मेंः–

(क) "**अनिष्ट**" शब्द का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता (45, 1860) की धारा 425 में है,

(ख) सम्पत्ति से अभिप्रेत है तथा उसमें शामिल है–

i. "**लोक सम्पत्ति**" से अभिप्रेत है कोई सम्पत्ति, चाहे वह अचल हो या चल मशीनरी सहित, जो निम्नलिखित के स्वत्वाधीन या कब्जा में या नियंत्रणाधीन होः–

(क) केन्द्रीय सरकार, या

(ख) किसी राज्य सरकार, या

(ग) किसी स्थानीय प्राधिकार, अथवा

(घ) केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निकाय, अथवा

(ड.) कोई संस्था, प्रतिष्ठान या उपक्रम जिसे राज्य सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

परन्तु केन्द्र सरकार किसी संस्था या प्रतिष्ठान या उपक्रम को इस उपखंड के अधीन तबतक विनिर्दिष्ट नहीं करेगी जबतक कि ऐसी संस्था, प्रतिष्ठान या उपक्रम को पूर्णतः या मूलतः प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में केन्द्र सरकार अथवा एक या अधिक राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार अथवा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा अंशतः निधियों का उपबंध न किया जाए।

ii. "**निजी सम्पत्ति**" से अभिप्रेत है कोई अन्य सम्पत्ति जो किसी निजी व्यक्ति की हो।

(ग) "**संहिता**" से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

(घ) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो संहिता या भारतीय दण्ड संहिता (45, 1860) में यथास्थिति उनके लिए क्रमशः समनुदेशित है।

**(3) सम्पत्ति से संबंधित अनिष्ट करने के लिए दण्डः–**

(1) जो कोई उप–खण्ड (2) में उल्लिखित प्रकृति से भिन्न लोक सम्पत्ति का रिष्टि करता है तो उसे पाँच वर्षों तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है।

(2) जो कोई निम्नलिखित लोक सम्पत्ति के संबंध में रिष्टि करने की कोई कार्रवाई करता है –

(क) जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या आपूर्त्ति के संबंध में प्रयुक्त भवन, प्रतिष्ठान या अन्य सम्पति,

(ख) कोई तेल प्रतिष्ठान,

(ग) कोई मल संकार्य,

(घ) कोई खान या कारखाना,

(ड.) लोक परिवहन या दूर संचार का कोई साधन अथवा एतदर्थ प्रयुक्त कोई भवन, प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति

तो उसे सश्रम कारावास से दंडित किया जायेगा, जिसकी न्यूनतम अवधि छः माह तथा अधिकतम अवधि पाँच वर्षों की होगी और उसके अलावा जुर्माना से भी दंडित किया जायेगा।

परन्तु न्यायालय अपने निर्णय में विशेष कारणों को अभिलिखित करते हुए छः माह से कम अवधि के कारावास का दण्ड दे सकता है।

(3) जो कोई धारा (3) के अधीन उप–खण्ड (1) अथवा उप–खण्ड (2) के अंतर्गत अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से अपराध करता है, उसे सश्रम कारावास से दंडित किया जायेगा, जिसकी न्यूनतम अवधि एक वर्ष तथा अधिकतम अवधि दस वर्षों की होगी और उसके अलावा जुर्माना से भी दंडित किया जायेगा।

परन्तु न्यायालय अपने न्याय निर्णय में विशेष कारणों को अभिलिखित करते हुए एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्ड दे सकता है।

**(4) आयोजकों द्वारा जैसे ही प्रदर्शन, आन्दोलन, बंद, हड़ताल का आयोजन किया जाता है तो उनका कर्त्तव्य होगा किः–**

i. आयोजक शांतिपूर्ण अभियान या विरोध के लिए मार्ग के पुनर्विलोकन एवं संशोधन करने हेतु पुलिस से मिलेगा।

ii. चाकू, लाठी एवं उस प्रकार के अन्य हथियार को प्रतिबंधित किया जाएगा।

iii. प्रत्येक सुसंगत चौराहे पर मार्शल सहित से शांतिपूर्ण अभियान सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों द्वारा वचनबद्धता का उपबंध किया जाएगा।

जो भी कोई किसी प्रदर्शन, आंदोलन, बंद, हड़ताल में उपर्युक्त कर्त्तव्यों में उल्लिखित किसी बात/उसके किसी भाग का उल्लंघन करता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

**(5) पुलिस एवं प्रशासन का कर्त्तव्यः–**

i. पुलिस एवं राज्य सरकार को ऐसे विरोधों के संभावित अधिकतम विडियोग्राफी तैयार कर लेनी चाहिए।

ii. यदि आयोजन जिला स्तर तक सीमित हो तो पुलिस अधीक्षक तथा यदि आयोजन का विस्तार एक जिले से अधिक तक हो तो राज्य का उच्चतम पुलिस पदाधिकारी प्रदर्शन–पर्यवेक्षण का प्रभारी होगा।

iii. प्रदर्शन के हिंसक होने की दशा में प्रभारी अधिकारी निजी ऑपरेटरों द्वारा घटना का विडियोग्राफी सुनिश्चित करेगा और घटना की और अधिक जानकारी के लिए मिडिया अथवा किसी अन्य से अनुरोध करेगा।

iv. पुलिस पदाधिकारी किसी बन्द या प्रदर्शन के दौरान हुई क्षति, विनाश सहित घटना की रिपोर्ट राज्य सरकार को तुरंत देगा।

v. राज्य सरकार पुलिस रिपोर्ट एवं अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी और अपनी रिपोर्ट के साथ यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में न्यायालय द्वारा विचाराधीन मामले में स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने हेतु याचिका दाखिल करेगी।

**(6) क्षति निर्धारण के लिए अपनाए जानेवाले निदेशः–**

i. जहाँ कहीं विरोध–प्रदर्शन के चलते सम्पत्ति का बड़ी मात्रा में विनाश होता है तो उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से कार्रवाई करेगा और क्षति आकलन के अन्वेषण के लिए मशीनरी का गठन करेगा तथा उससे संबंधित क्षतिपूर्ति पर निर्णय देगा।

ii. जहाँ एक से अधिक राज्य का मामला हो वहाँ उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाएगी।

iii. प्रत्येक मामले में यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, क्षति आकलन एवं जिम्मेदारी अन्वेषण करने के लिए दावा आयुक्त के रूप में उच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा कार्यरत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकेगा।

iv. दावा आयुक्त की सहायता के लिए कोई असेसर नियुक्त किया जा सकेगा।

v. क्षति के ठीक–ठीक आकलन और क्षति का क्षतिकर्त्ताओं के साथ संबंध स्थापित करने हेतु दावा आयुक्त एवं असेसर निजी एवं सरकारी स्रोतों से विडियो या अन्य रिकार्डिंग करने वाले को सम्मन करने हेतु यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से अनुदेश प्राप्त करेगा।

vi. घटना में हुई अवक्षेपित क्षति के साथ क्षतिकर्त्ताओं का एक बार सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर पूर्ण जिम्मेवारी का सिद्धान्त लागू हो जाएगा।

vii. वास्तविक अपराधकर्ताओं के साथ–साथ घटना के आयोजकों को भी यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से यथा निर्धारित जिम्मेवारी में हिस्सेदारी का वहन करना होगा।

viii. उदाहरणीय क्षति, भुगतान की जानेवाली क्षति की रकम के दूगुने से अधिक नहीं दी जा सकती है।

ix. क्षति निर्धारित की जाएगी :–

(क) लोक सम्पत्ति की क्षति,

(ख) निजी सम्पत्ति की क्षति,

(ग) व्यक्ति या व्यक्तियों के जख्म या मृत्यु के कारण क्षति, और

(घ) निवारक और अन्य कार्रवाई करने के लिए प्राधिकारों एवं पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई की लागत।

x. दावा आयुक्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट करेगा जो पक्षकारों को सुने जाने के पश्चात जिम्मेदारी का निर्धारण करेगा।

दावा की रकम जुर्माना वसूली संहिता में यथा उपबंधित प्रक्रिया से वसूली जाएगी।

**(7) जमानत से संबंधित विशेष उपबंधः–**

धारा–3 या धारा–4 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियुक्त या सिद्धदोष कोई व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है तो वह जमानत अथवा अपने बंधपत्र पर तबतक मुक्त नहीं किया जाएगा जबतक कि ऐसी मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर अभियोजन को नहीं प्रदान किया गया हो।

**(8) संज्ञेय अपराध–** इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानतीय होगा, तथा प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा।

**(9) नियम बनाने की शक्ति–** राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

**(10) निरसन एवं व्यावृत्ति–** इस अधिनियम का कोई उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होगा न कि उसके अल्पीकरण तथा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को किसी ऐसी कार्यवाही (चाहे अन्वेषण हो या अन्यथा) से छूट नहीं देगी जो इस अधिनियम के अलावा उसके विरूद्ध संस्थित या की गयी थी।

## उद्देश्य एवं हेतु

विभिन्न संगठनों, छात्र समुदाय, श्रमिकों एवम् असामाजिक तत्वों के द्वारा आये दिन आंदोलन/बंद/हड़ताल किए जाते हैं एवं इसके दौरान आगजनी, वाहनों में तोड़फोड़ लूट की वारदात तथा राष्ट्रीय/राजकीय एवम् निजी परिसम्पतियों को क्षति पहुँचाने की घटनाऐं की जाती है। हाल के वर्षो में इस प्रकार की घटनाओं में उतरोतर वृद्वि हुई है। फलस्वरूप सरकारी सम्पत्ति के साथ साथ निजी सम्पत्ति को क्षति पहुँचती रही है। इन आंदोलनों से स्कूल, कार्यालय, यातायात को वाधित करने का प्रयास किया जाता है। इससे विधि व्यवस्था के संधारण में कठिनाई के साथ साथ आम जन जीवन को भारी कष्ट एवम् परेशानी का सामना करना पड़ता है।

उपर्युक्त आलोक में इस प्रकार की घटनाओं/वारदातों पर अंकुश लगाने, दोषियों को सजा देने के लिए अधिनियम का गठन किया जाना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इस प्रकार के अधिनियम का गठन किया जाना अपेक्षित है।

इस विधेयक का यही अभीष्ट है। अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

**(रघुवर दास)**
भारसाधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 15(A)--200--21-7-2016